

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एस०एच-43) के कि०मी० चैनेज 4.420 से 5.820 तक बॉयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, मुरादाबाद द्वारा संरक्षित वन भूमि पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।



(सतीश चन्द्र वर्मा,
सहायक महाप्रबन्धक,
टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०,
मुरादाबाद।

वन क्षेत्राधिकारी,
मुरादाबाद।

वन क्षेत्राधिकारी,
बिलारी।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।